न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–113/2026
(पंजीकरण सं०–609/2026)
अर्जुन गौतम पुत्र बबलू गौतम
सा०मौ०–इटाये, थाना–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर।

बनाम

उ०प्र० राज्य।
मु०अ०सं०–03/2025
धारा–115(2), 110, 117(2), 352 351(2), 3(5) बी०एन०एस०
थाना–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर।

दिनांक–18.03.2026

अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.03.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि वादी मुकदमा फर्जी कथानक के आधार पर आवेदक को अभियुक्त बनाया है। जिस प्रकार से कथित घटना का कथित दिनांक, समय व स्थान पर घटित होना कहा गया है, उस प्रकार की कोई घटना कथित दिनांक, समय व स्थान पर घटित नहीं हुआ है अपितु वादी मुकदमा आवेदक को झूठे आरोप में रंजिशन फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाई गयी है और विलंब का कोई कारण स्पष्ट नहीं दिया गया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। वह बिलकुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना 09 बजे रात्रि सुनसान रास्ते पर घटित होना कहा गया है। उस समय किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना देखे जाने की बात नहीं कहीं गयी है। विवेचक द्वारा जिन साक्षियों का बयान लिया गया है, सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं। सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक की कोई विशेष भूमिका नहीं है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राम प्रसाद सोनकर द्वारा सम्बन्धित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के लड़के राहुल व संतोष सोनकर से कुछ दिन पूर्व आशीष कुमार यादव व अंकुश पटेल का कुछ दिन पूर्व कहासुनी हुई थी, जिसमें गाँव के ही कुछ लोगों ने समझौता करा दिया था, किन्तु जाते समय आशीष व अंकुश ने धमकी दिया था कि तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। दिनाँक 03.01.2025 समय करीब 9 बजे रात को मेरा लड़का राहुल व संतोष मड़ियाहूं से जमलिया अपने घर जा रहे थे कि पहले घाते लगाकर बैठे आशीष व अंकुश यादव व तीन–चार लोग अज्ञात प्रार्थी के लड़के पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। लाठी–डण्डा, हॉकी व सरिया से मारकर गंभीर चोटें पहुंचायी। लड़कों के चीख पुकार पर मिन्कू सोनकर व सुनील सोनकर ने घटना को देखा और बीच–बचाव किया। उपरोक्त लोग जाते समय जान से मारने की धमकी दिये। उक्त सूचना पर संबंधित थाने द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 03/2025 अन्तर्गत धारा–115(2), 110, 352, 351(2), 3(5) भा०न्या०सं० अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 115(2), 110, 352, 351(2), 3(5), 117(2) भा०न्या०सं० में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का आवलोकन किया।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.18 16:04:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के लड़के के साथ मारपीटकर गंभीर उपहति कारित किये जाने, प्राणघातक चोट पहुँचाये जाने, गाली गलौज दिये जाने, जान से मारने की धमकी दिये जाने का अपराध किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के लड़के के साथ मारपीट किया जाना, प्राणघातक चोट पहुँचाया जाना, गाली–गलौज करते हुए जान से मारने धमकी दिया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्त पर धारा–35(3) बी०एन०एस०एस० की नोटिस तामील करायी गयी है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्त आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। थाने से आख्या प्राप्त है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अर्जुन गौतम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य /साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान अन्य किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509